भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2004

सं0 301—31/2004—इको.— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की 11 की उपधारा (2) तथा धारा 11 (1) (ख) (i) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में एतद्द्वारा निम्न संशोधन करता हैः

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा क्षेत्र

(i) इस आदेश को "दूरसंचार टैरिफ (तैंतीसवां संशोधन) आदेश, 2004 (2004 का 9) कहा जाएगा।

(ii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2) दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की धारा II (परिभाषाएं) में निम्न को खण्ड 2 के अंतर्गत उपखण्ड एस (s) के रूप में सन्निविष्ट किया जाएगा और मौजूदा उपखण्ड एस (s) को उपखण्ड टी (t) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा।

(एस)(s) उर्ध्वाधर कीमत दबाव (vertical price squeeze) का अर्थ ऐसी अन्तरीय टैरिफ व्यवस्था है, जो गैर—प्रतिस्पर्धी व्यवहार का स्वरूप ग्रहण कर ले और यह तब हो सकता है जब कोई ऐसा ऑपरेटर, जिसके पास बाजार की पर्याप्त शक्ति हो, और वह कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण इनपुटों पर नियंत्रण कर ले जिनकी आवश्यकता डाउनस्ट्रीम बाजार में प्रतिस्पर्धियों को भी हो और जहां ऐसा ऑपरेटर अथवा उसके सहयोगी इन महत्त्वपूर्ण इनपुटों का इस्तेमाल डाउनस्ट्रीम बाजार में प्रतियोगिता के लिए करें।

टी(t) इस आदेश में इस्तेमाल किए गए ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का क्रमशः वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

3) दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के भाग IV के खण्ड 10 (गैर—भेदभाव) में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

"परन्तु उर्ध्वाधर कीमत दबाव (Vertical Price Squeeze) के रूप में अन्तरीय टैरिफ एक भेदभावपूर्ण टैरिफ की व्यवस्था करने का मामला होगा।"

4. इस आदेश का व्याख्यात्मक ज्ञापन अनुलग्नक के रूप में संलग्न है, जिसमें दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में किये जाने वाले इस संशोधन के कारणों को स्पष्ट किया गया है।

आदेशानुसार,

(एम0 कन्नन)
सलाहकार (आर्थिक)

<u>अनुलग्नक</u>

<u>व्याख्यात्मक ज्ञापन</u>

"गैर–भेदभावपूर्ण" शब्द की मौजूदा परिभाषा के अनुसार सेवा प्रदाताओं को समान श्रेणी के सब्सक्राइबरों के लिए अन्तरीय टैरिफ रखने की अनुमति नहीं है। प्राधिकरण ने विगत में ऐसे टैरिफ योजनाओं की अनुमति नहीं दी थी जिसमें अपने नेटवर्क में टर्मिनेट होने वाली कॉलों के लिए कम अन्तरीय एयर टाइम प्रभार रखने का प्रावधान किया गया था।

2. इस संदर्भ में कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा क्लोज्ड यूजर ग्रूप (CUG)/ वर्च्यूअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के लिए कुछ टैरिफ योजनाओं का भी प्रस्ताव किया गया था। प्राधिकरण ने दूरसंचार सेवाओं के लिए लागू फुटकर टैरिफ में भेदभावपूर्ण न करने के सिद्धांत की इस समय की व्याख्या की समीक्षा की आवश्यकता के संबंध में परामर्श की एक प्रक्रिया शुरू की। इस पर बड़े पैमाने पर स्टेकहोल्डरों की प्रतिक्रिया गैर–भेदभावपूर्ण टैरिफ की मौजूदा व्याख्या, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ उसी नेटवर्क में टर्मिनेट होने वाली कॉलों के लिए अन्तरीय टैरिफ की मनाही है, के प्रतिकूल थी।

3. प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित फुटकर टैरिफ के रूझानों के साक्ष्य से पता चलता है कि मोबाइल सेवा सेगमेंट में भारी प्रतिस्पर्धा है। इसके अलावा, एकीकृत अभिगम प्रणाली (Unified Access Regime) पहले ही स्थापित हो जाने, एकीकृत लाइसेंस प्रणाली विचाराधीन हाने और प्राधिकरण द्वारा आमतौर पर फुटकर टैरिफ को प्रविरिति रखने के कारण पर्याप्त प्रतिस्पर्धा न होने की चिन्ता काफी हद तक कम हो गई है। इस पृष्ठभूमि में तथा ऊपर उल्लिखित परामर्श पत्र पर स्टेकहोल्डरों की प्रतिक्रिया के संदर्भ में प्राधिकरण ने फुटकर टैरिफ में भेदभाव न करने के सिद्धांत की व्याख्या जो ट्राई के 20 मई, 2003 के दिशा–निर्देशों में उल्लिखित है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह स्पष्ट किया गया है कि उसी नेटवर्क पर टर्मिनेट होने वाली कॉलों के लिए अन्तरीय टैरिफ का प्रावधान करना भेदभाव करने के समान है, में संशोधन करने का निर्णय लिया है। टैरिफ में भेदभाव न करने से संबंधित मामले में प्रविरिति रखने का प्राधिकरण का निर्णय सभी सेवा प्रदाताओं को 24 मई, 2004 के पत्र द्वारा संसूचित कर दिया गया था। अतः सेवा प्रदाता ऑफ–नेट तथा ऑन–नेट कॉलों के लिए अन्तरीय टैरिफ की पेशकश कर सकते हैं। परन्तु, ऐसे मामलों में जहां इस प्रकार की अन्तरीय टैरिफ गैर–प्रतिस्पर्धी हों अथवा हानिकर हों और जिनका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा कम करना हो, उस पर विनियामक ध्यान देगा। ये टैरिफ किसी खास आपरेटर (आपरेटरों) के पक्ष में हो सकते हैं जो भेदभाव का रूप ले सकता है, जिससे सम्बद्ध बाजार में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

4. अन्तरीय टैरिफ संरचना के मामले, जो गैर–प्रतिस्पर्धी व्यवहार का रूप धारण कर सकते हैं, विनियामक की चिन्ता का विषय बने हुए हैं। उर्ध्वाधर कीमत दबाव (Vertical Price Squeeze) इसी प्राकर का एक गैर–प्रतिस्पर्धी कार्य है, जिसमें कोई ऐसा ऑपरेटर लिप्त हो सकता है जो किसी खास सेवा क्षेत्र में अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम बाजार दोनों में सेवा प्रदान करता हो और जिसके पास पर्याप्त बाजार की शक्ति हो। इसमें ऑपरेटर कुछ ऐसी सेवाओं पर नियंत्रण कर लेता है, जो डाउनस्ट्रीम बाजार में प्रतियोगियों के लिए महत्त्वपूर्ण इनपुट होते हैं और जहां इन महत्त्वपूर्ण इनपुटों का ऑपरेटर अथवा उसके सहयोगियों द्वारा उसी डाउनस्ट्रीम बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए दूरसंचार बाजार में समर्पित स्थानीय सर्किटों के प्रावधान से उर्ध्वाधर कीमत दबाव (Vertical Price Squeeze) की स्थिति बन सकती है। पर्याप्त बाजार की शक्ति वाला ऑपरेटर अपने प्रतियोगियों के लिए अपस्ट्रीम इनपुट अर्थात् समर्पित स्थानीय सर्किट की कीमतें बढ़ा सकता है जबकि डाउनस्ट्रीम कीमतें अर्थात् समर्पित इंटरनेट एक्सेस सेवाओं की कीमतें समान रख सकता है।

इसका प्रभाव प्रतियोगियों का लाभ या मार्जिन कम करना या उसे समाप्त करना होगा। दूसरे शब्दों में कोई ऐसा ऑपरेटर, जिसके पास बाजार की पर्याप्त शक्ति हो, वह प्रतियोगियों द्वारा भुगतान की जाने वाली थोक कीमतें (अपस्ट्रीम बाजार) बढ़ाकर तथा साथ ही प्रतिस्पर्धी सेवाओं पर फुटकर कीमतें (डाउनस्ट्रीम बाजार) कम कर प्रतियोगियों का मार्जिन कम कर सकता है। पर्याप्त बाजार की शक्ति वाला ऑपरेटर लागत संबंधी नीति का इस प्रकार निर्धारण कर प्रतियोगियों का लाभ कम कर सकता है और प्रतिस्पर्धा को वस्तुतः प्रभावित कर सकता है। प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने तथा समुचित प्रतिस्पर्धा के लिए कई अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं इस प्रकार की गैर–प्रतिस्पर्धा के विरूद्ध हैं। अतः उर्ध्वाधर कीमत दबाव (Vertical Price Squeeze) के मामले में जहां फुटकर कीमतें ऑपरेटर द्वारा प्रस्तावित कीमत (थोक) से कम हों, वहां प्राधिकरण हस्तक्षेप जारी रखेगा क्योंकि इस प्रकार का उर्ध्वाधर दबाव (Vertical Price Squeeze) अनुचित ढंग से प्रतिस्पर्धा को सीमित करता है।

5. भेदभाव न करने के सिद्धांत तथा टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन के लिए सब्सक्राइबरों के वर्गीकरण के संदर्भ में इस संशोधित आदेश के मुद्दे से उभरी स्थिति नीचे समेकित की जाती है ताकि टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं द्वारा इसका कड़ाई से पालन किया जा सके।

i) भेदभाव न करने के सिद्धांत की परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह टीटीओ 1999 के खण्ड 2 (k) में दिए गए अनुसार रहेगा।

ii) कोई सेवा प्रदाता किसी भी प्रकार से उसी (समान) श्रेणी के सबसक्राइबरों के बीच भेदभाव नहीं करेगा और सब्सक्राइबरों को ऐसे वर्गीकरण में मनमानी नहीं की जाएगी।

iii) ऑफ–नेट तथा ऑन–नेट कॉलों के लिए अन्तरीय कॉल प्रभार की अनुमति होगी।

iv) जब कभी अन्तरीय टैरिफ की पेशकश की जाए तब यह ऑपरेटर की जिम्मेवारी होगी कि वह ऐसे अन्तरीय टैरिफ का लाभ उठाने के लिए पात्रता के मानदण्ड, पारदर्शी तथा स्पष्ट तरीके से परिभाषित करें। सब्सक्राबइरों के वर्गीकरण में मनमानी न करने से संबंधित टीटीओ के प्रावधानों से उनकी सुसंगता का आकलन करने के लिए प्राधिकरण इन मानदण्डों पर विचार करेगा।

v) जैसा कि व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 4 में स्पष्ट किया गया है किसी ऐसे अन्तरीय टैरिफ की अनुमति नहीं है जो उर्ध्वाधर कीमत दबाव (Vertical Price Squeeze) का रूप धारण करें। प्राधिकरण यह स्पष्ट करना चाहता है कि किसी सेवा क्षेत्र में बाजार की पर्याप्त शक्ति रखने वाले किसी ऑपरेटर द्वारा लीज में दिए गए सर्किटों के प्रावधान में अन्तरीय डिस्काउंट संरचना, जिसका स्वरूप उर्ध्वाधर कीमत दबाव जैसा ही है, की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार के अन्तरीय डिस्काउंट, यदि पहले से मौजूद हों तो इसकी संरचना में तत्काल परिवर्तन कर इसे उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणी के लिए एक समान बनाया जाना चाहिए।

vi) सेवा प्रदाता उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों की दृष्टि से स्वतः जांच करेंगे और यदि परिचालित कोई योजना इन दिशा निर्देशों अनुकूल न हो तो प्राधिकरण को सूचित करते हुए उसे तत्काल वापस से लिया जाए।

अनुलग्नक

व्याख्यात्मक ज्ञापन

दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ), 1999 में 9 अनुसूचियां निहित हैं (I से IX)। 9 मार्च, 1999 को अधिसूचित दूरसंचार टैरिफ आदेश की अनुसूची IV को "घरेलू लीज्ड सर्किट" के रूप में पुननामित किया है और अनुसूची X अर्थात् इन्टरनेशनल प्राइवेट लीज्ड सर्किट (आईपीएलसी)–(हॉफ सर्किट), इसमें जोड़ा है। वर्तमान संशोधन टीटीओ के धारा III के अन्तर्गत खण्ड 3 में इसी के परिणामस्वरूप परिवर्तन करने की मंशा से जारी किया जा रहा है।